कराधान के नियम (Canons of taxation):

कराधान के नियम को पहली बार अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "द वेल्थ ऑफ नेशंस" में प्रस्तुत किया था। कराधान के नियम निर्धरित करते समय सरकार को यह देखना चाहिए कि उसकी कराधान नीतिया कराधान के अधिकांश नियम को संतुष्ट करती है या नही। कराधान के मुख्य नियम बुनियादी सिद्धांत या नियम हैं जो एक अच्छी कर प्रणाली। के निर्माण के लिए निर्धारित हैं। कुछ प्रमुख नियम निम्नवत है-(1) समानता के नियम - समानता के नियम का तात्पर्य यह है कि समानता के आधार पर नागरिकों पर कर लगाया जाना चाहिए। सभी नागरिकों का बलिदान समान होना चाहिए। एडम स्मिथ के शब्दों में, "प्रत्येक राज्य के विषयों को सरकार की सहायता के लिए राज्य को, जितना संभव हो, उनकी संबंधित क्षमताओं के अनुपात में योगदान करना चाहिए अर्थात् उनके राजस्व के अनुपात में जो वे क्रमशः संरक्षण के तहत प्राप्त करते हैं। । दूसरे शब्दों में, कराधान का यह सिद्धांत वताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को देयता के अनुसार कर के रूप में राज्य को भुगतान करना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि लोगों को कर की दर पर कर देना चाहिये।

(2) निश्चितता के नियम : निश्चितता के नियम यह है कि किसी व्यक्ति को जो कर चुकाना है, वह निश्चित होना चाहिए न कि मनमाना। करदाता के लिए यह निश्चित होना चाहिए कि उसे कितना और किस दर पर कर देना है, किसको और किस समय तक कर देना है, स्थान और अन्य प्रक्रियात्मक जानकारी

भी स्पष्ट होनी चाहिए। यह किसी भी तरह से कर अधिकारियों के शोषण से करदाता की रक्षा करेगा। यह करदाता को उसकी आय और व्यय का प्रबंधन करने में सक्षम करेगा। इस सिद्धांत से सरकार भी लाभान्वित होगी।

(3) सुविधा या आसानी के नियम:

कराधान के इस नियम के अनुसार, प्रत्येक कर को इस तरह से और ऐसे समय में लगाया जाना चाहिए कि यह करदाता को अधिकतम सुविधा प्रदान करता है। एडम स्मिथ के अनुसार, एक अच्छी कराधान नीति करदाता के लिए सुविधाजनक होनी चाहिए। कारण यह है कि कर दाता अपनी क्रय शक्ति जानता है और कर के भुगतान के समय त्याग करता है इसलिए सरकार को यह देखना चाहिए कि कर दाता को कोई असुविधा न हो। उदाहरण के लिए, एक कृषि देश में, कटाई के बाद ही कर एकत्र किया जाना चाहिए।

(4) प्रशानिक अर्थव्यवस्था का नियम:

यह सिद्धांत बताता है कि कर एकत्र करने की लागत न्यूनतम होनी चाहिए ताकि संग्रह का एक बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में आ सके। यदि करों के संग्रह में प्रशासन व्यय कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा एकत्र करता है, इसे एक अच्छी कर प्रणाली नहीं कहा जा सकता है।

एडम स्मिथ के शब्दों में- "प्रत्येक कर को राज्य के सार्वजनिक खजाने में लाने और बाहर लाने के लिए दोनों के रूप में कम से कम लोगों की जेब से बाहर रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए।"

5) कर उत्पादकता का नियम:

कर उत्पादकता का यह नियम प्रो बैस्टेबल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कराधान के इस नियम के अनुसार, प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए सरकार द्वारा आय प्राप्त करने के लिए कर की प्रकृति प्रोडिक्टिव होनी चाहिए। कर उत्पादकता महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वित्त मंत्री किसी भी नए कर का प्रस्ताव करने से पहले कर उत्पादकता पर विचार करना चाहिये । यदि कोई कर घटिया आय देता है तो इसे एक अच्छा और उत्पादक कर नहीं कहा जा सकता है। यह अक्सर सुझाव दिया जाता है कि कुछ उत्पादक कर ,लोगों पर बड़ी संख्या में अनुत्पादक करों के लिए जाने से बेहतर होता हैं।

(6) लोचदार नियम:

सरकार की कर प्रणाली लोचदार होनी चाहिए ताकि राजस्व में बदलाव के लिए समय की मांग के अनुसार समय-समय पर कर का बोझ बढ़ाया जा सके या कम किया जा सके। कर प्रणाली में राजस्व की मांग में बदलाव के लिए जल्दी से जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। यदि कर प्रणाली अप्रभावी है, तो सरकार समय-समय पर उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकती है।

7) सरलता का नियम:

कराधान के इस के नियम अनुसार, कर इसकी प्रकृति में जिटल नहीं होना चाहिए। यह इतना सरल होना चाहिए कि कर चुकाने वाला किसी भी विशेषज्ञ की मदद के बिना इसकी जिटलताओं को समझ सके। यह कर अधिकारियों और विशेषज्ञों के शोषण के खिलाफ कर दाता की सुरक्षा करेगा। यह कर चोरी की संभावना को भी कम करेगा। यदि कर जटिल है, तो यह करदाता को परेशान करेगा और उसे कर से बचने के लिए उकसाएगा। यह कानूनी जटिलताओं में भी इजाफा करेगा।

(8) विविधता का नियम:

आवश्यकता है कि विभिन्न किस्मों के करों में एक संख्या होनी चाहिए ताकि नागरिक के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्रीय खजाने की ओर कुछ भुगतान करने के लिए कहा जा सके। कारण यह है कि एक व्यक्ति एकल कर से बचने के लिए हेरफेर कर सकता है। लेकिन, अगर सरकार वस्तु एवम सेवाओ पर कई तरह के कर लगाती है, तो लोगों से उन्हें निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार, विभिन्न प्रकार के कर का बोझ व्यक्तियों के एक वर्ग पर केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय या सरकारी खजाने को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य होना चाहिए।